न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/36/2025	2025/298	04.09.2025	19.11.2025

1. कुलदीपसिंह पुत्र स्व0 श्री किशनसिंह जाति जाट निवासी बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध विरासत नामान्तकरण संख्या 239 निर्णय दिनांक 04.05.1993 तहसीलदार लक्ष्मणगढ, हाल कठूमर, जिला अलवर (राज0)

उपस्थितः—
01—श्री अमरचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:**निर्णय**:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ हाल कठूमर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.1993 नामान्तकरण संख्या 239 वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 04.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 239 ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक किशनसिंह पुत्र बालमुकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान की कोई जानकारी नही थी। इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही हैं। उक्त आलोच्य की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 27.08.2025 को हुई, जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलान्ट को मेरे पिता किशनसिंह की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य आज्ञा की जानकारी दी। बाद जानकारी आलोच्य आज्ञा की नकल तैयार होकर दिनांक 28.08.2025 को सायंकाल प्राप्त हुई। इसके बाद दिनांक 30.08.2025 से अपील तैयार कराकर अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 27.08.2025 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं।

आलोच्य आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 04.05.93 नामान्तकरण विरासत संख्या 239 ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक किशनसिंह पुत्र बालमुंकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 27—08—2025 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मुजरा दिये जाने योग्य हैं। जंहा आलोच्य आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नहीं हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 27.08.2025 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

आलोच्य आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 04.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 239 ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक किशनसिंह पुत्र बालमुकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा न्यायिक विधि एवं तथ्यो एवं मौके व कब्जे व रिकार्ड के खिलाफ हैं।

आलोच्य आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 04.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 239 ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक किशनसिंह पुत्र बालमुकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में वर्णित आराजी वाके बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट के पिता श्री किशनसिंह पुत्र बालमुंकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्ट के पिता श्री किशनसिंह पुत्र बालमुकद का स्वर्गवास हो गया। जिसकी विरासत का आलोच्य नामान्तकरण संख्या 239 दिनांक 04.05.1993 को रैस्पाडैन्ट तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया हैं।

मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम व पता कुलदीपसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान हैं, तथा मिन अपीलान्ट के पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पास बुक, पैन कार्ड इत्यादि में भी मिन अपीलान्ट का नाम "कुलदीपसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान" अंकित हैं। लेकिन आलोच्य आज्ञा जेर बहस अपील में रैस्पाडैन्ट द्वारा बिना वारिसान के सही नाम की जांच किये, मिन अपीलान्ट का नाम "कुल्ला पुत्र किशनसिंह" दर्ज कर दिया गया हैं, जो कि कानूनन गलत हैं, क्योंकि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम "कुलदीपसिंह पुत्र किशनसिंह" हैं," कुल्ला पुत्र किशनसिंह" नही हैं। मिन अपीलान्ट के पिता किशनसिंह के कोई" कुल्ला" नामक लडका नहीं हैं। उक्त गलत नाम अंकन की जानकारी मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर हुई हैं। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम कुल्ला पुत्र किशनसिंह को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम कुलदीपसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से मिन अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरीत असर पडता हैं। और मिन अपीलान्ट को उक्त

अ। :र्वक्त जिला ...टर (प्रथम
..लवर (राज०)

आराजी का आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण पटटा आदि जारी कराने व केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए बनायी गई, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए अपील पेश करना अतिआवश्यक हुआ हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

रैस्पाडैन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब नही किया गया, ना मिन अपीलाण्ट को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया, ना मिन अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी की गई। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी, दोषपूर्ण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ व पीडित पक्षकार को बिना सुने होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं।

अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित की हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 04.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 239 ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक किशनसिंह पुत्र बालमुंकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान संशोधित कर उक्त आज्ञा में दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम "कुल्ला पुत्र किशनसिंह" को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम कुलदीपसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज व तस्दीक करने के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 04.05.1993 नामान्तकरण विरासत संख्या 239 ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल कठूमर जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक किशनसिंह पुत्र बालमुंकद जाति जाट निवासी ग्राम बायडा तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान संशोधित कर उक्त आज्ञा में दर्ज अपीलान्ट का नाम "कुल्ला पुत्र किशनसिंह" को कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का वास्तविक नाम कुलदीपसिंह पुत्र किशनसिंह शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.1993 के विरूद्ध दिनांक 04.09.2025 को पेश की गयी है जो करीब 32 साल 04 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दृष्टांतों में यह सिद्धांत स्थापित है कि यदि आदेश पीड़ित पक्षकार को सुने बिना तथा गलत तथ्यों के आधार पर पारित हुआ हो, तथा संबंधित व्यक्ति को आदेश की वास्तविक जानकारी बाद में प्राप्त हुई हो, तो विलम्ब के प्रश्न पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायसंगत माना गया है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अति० रक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर चिन्तन–मनन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि उक्त विवादित नामान्तकरण आदेश संख्या 239, दिनांक 04.05.1993 तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (हाल कठूमर), जिला अलवर द्वारा अपीलार्थी को तलब किए बिना, तथा उसके सही नाम, पहचान एवं अधिकारों की जाँच किए बिना पारित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण आदेश में अपी0 का नाम गलत रूप में "कुल्ला पुत्र किशनसिंह" अंकित किया गया, जबकि उसका वास्तविक, प्रमाणित एवं वैधानिक नाम "कुलदीपसिंह पुत्र किशनसिंह" है। अपीलार्थी के समस्त पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, पैन कार्ड आदि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। किसी मृतक की विरासत में वारिस के वास्तविक नाम का गलत अंकन न केवल तथ्यगत त्रुटि है बल्कि इससे भविष्य में भूमि पर अधिकार एवं उपयोग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को संशोधन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत है।: अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, हाल कठूमर, जिला अलवर का आदेश इन्तकाल संख्या 239 दिनांक 04.05.1993 को अपीलाण्ट के नाम/हिस्से तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के गलत नाम "कुल्ला पुत्र किशनसिंह" के दर्ज अंकन को कलमजन किया जाकर अपीलार्थी का वास्तविक व सही नाम "कुलदीपसिंह पुत्र किशनसिंह" का अंकन नियमानुसार जांच कर विधिनुसार इन्तकाल दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)